

प्रेषक:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

सेवामें,

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,  
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक/प्रा०शि०-2/1866 / नियुक्ति/2022-23, दिनांक 28 मई 2022

विषय:- विभागीय वेबसाइट [www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर नियुक्ति आदेश अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक: प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14 सितम्बर 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या: प्रा०शि०-2/970/विज्ञप्ति/2018-19 दिनांक 06 मार्च 2019 एवं आदेश संख्या: प्रा०शि०-2/558/विज्ञप्ति/2020-21 दिनांक 19 नवम्बर 2020 एवं यथासंशोधित के द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 एवं यथासंशोधित सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद टिहरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 35400-112400, लेवल-6) के अनु० जाति बैकलॉग 2019 एवं सीधी भर्ती 2020 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः चयनित सहायक अध्यापकों के नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाइट [www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर अपलोड (प्रदर्शित) करने की कृपा कीजिएगा।

- संलग्न:- 1. नियुक्ति आदेश संख्या-199, दिनांक 28 मई 2022 (बैकलॉग)।  
2. नियुक्ति आदेश संख्या-20, दिनांक 28 मई 2022 (सीधी भर्ती)।

भवदीय

(आर.पी.डंडरियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

## कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) टिहरी गढ़वाल।

आदेश संख्या: प्रा.शि.-2/ 199 /स.अ. बैकलॉग /नियुक्ति/2022-23 दिनांक 28 मई 2022

### ::नियुक्ति आदेश::

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो (2)/19061-75/148(18)/2018-19, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या: प्रा.शि.-2 /970/विज्ञप्ति /2018-19, दिनांक 06 मार्च, 2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01 जून, 2019 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बैकलॉग के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के चयनोपरान्त स्तानक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त, बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बन्द लिफाफे में रखे गये थे। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-574/एस.एस./2019 नीतू पाठक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: वि0प्र0-10(05) /2787/2022-23 दिनांक 19 मई 2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक करने वाले अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान रू0 (35400-112400 लेवल-06) के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-574/एस.एस./2019 नीतू पाठक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्या-903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं याचिका संख्या: 2292/2018 (एस.एस.) विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। उक्त छ: माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेखों के निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आवंटित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
1	ज्योत्सना तिरुवा टम्टा	जोगा राम	उधमसिंह नगर	10-01-85	SC	रा.प्रा.वि. अखोडी	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
2	सादेव प्रसाद	नन्द राम	पौड़ी गढ़वाल	01-06-87	SC	रा.प्रा.वि. ओडाधार	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
3	सन्दीप सिंह	ज्ञानचन्द	देहरादून	02-06-84	SC	रा.प्रा.वि. चांजी मल्ली	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति





क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आंवटित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
4	जय चन्द्र	खुशाली राम	अल्मोडा	06-06-77	SC	रा.प्रा.वि. म्यार	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
5	पूनम गौतम	रिक्खी सिंह	उधमसिंह नगर	05-07-84	SC	रा.प्रा.वि. चमियाड़ी	देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
6	पंकज कुमार	गोविन्द लाल	पौड़ी गढ़वाल	06-11-82	SC	रा.प्रा.वि. बैजवाड़ी	कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
7	बबीता देवी	अतर सिंह	देहरादून	03-07-73	SC	रा.प्रा.वि. घटूधार	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
8	पुष्पा ग्वासीकोटी	ललित प्रसाद टम्टा	पिथौरागढ़	20-06-76	SC	रा.प्रा.वि. भरेटीधार	जाखणीधार	रिक्त पद के प्रति
9	परविन्दर पाल सिंह	राम पाल सिंह	ऊधमसिंहनगर	11-01-85	SC	रा.प्रा.वि. जखेड़	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति

(आर.पी. डंडरियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ.सं.प्रा.शि.-2/ 1049-56 स.अ. बैकलॉग / नियुक्ति / 2022-23, दिनांक उक्तवत ।  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी नई टिहरी//घनसाली/देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि वे अपने विकासखण्ड से सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका के समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन तथा उनकी वैधता दो वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली संस्थाओं/कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवाने के उपरान्त सत्यापित प्रमाण-पत्रों का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख औपबन्धिक अंकित किया गया है उनके शैक्षिक/प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित त्रुटियों के निराकरण के उपरान्त वेतन आहरित किया जाय।
8. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका सम्बन्धित विद्यालय।
9. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय के साथ कि अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, टी.ई.टी.प्रथम उत्तीर्ण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के दो-दो सैट सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर उक्त अभिलेखों का एक सैट विद्यालय में जमा करने होंगे, दिनांक 01 जून 2022 से ग्रीष्मावकाश होने के फलस्वरूप उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। निर्धारित समायान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
10. कार्यालय गार्ड फाईल।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) टिहरी गढ़वाल।**

आदेश संख्या: प्रा.शि.-2/ 200 /स.अ.प्राथमिक/नियुक्ति/2022-23 दिनांक 28 मई 2022

**::नियुक्ति आदेश::**

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो (2)/419-2019/9950-53/2020-21, दिनांक 09 नवम्बर 2020 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या: प्रा.शि.-2 /558/विज्ञप्ति /2020-21, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01 जनवरी 2021 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के चयनोपरान्त स्तानक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त, बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बन्द लिफाफे में रखे गये थे। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-574/एस0एस0/2019 नीतू पाठक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: वि0प्र0-10(05) /2787/2022-23 दिनांक 19 मई 2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक करने वाले बी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान रू0 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-574/एस.एस./2019 नीतू पाठक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्या-903/2019, रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./ 2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं याचिका संख्या: 2292/2018 (एस0एस0) विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। उक्त छः माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेखों के निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी हैं। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आवंटित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मक्खन लाल	नत्थू	टिहरी गढ़वाल	01-06-76	SC	रा.प्रा.वि. काशीगांव	देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
2	सुशीला मिश्रा	विश्वम्बर दत्त जोशी	चमोली	01-05-85	GEN	रा.प्रा.वि. भेलगढी	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
3	सूरज सिंह	बालकिशन सिंह	उधमसिंह नगर	20-04-78	SC	रा.प्रा.वि. साबली	चम्बा	रिक्त पद के प्रति
4	पूनम जोशी	कृष्णा नन्द जोशी	हरिद्वार	05-09-78	GEN	रा.प्रा.वि. कोटी नवीन	कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति



क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आवंटित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	अभ्युक्ति
5	अरूण मेन्दोला	राधा बल्लभ मेन्दोला	पौड़ी गढ़वाल	12-11-82	GEN	रा.प्रा.वि. सिल्ली धार्ती	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
6	बालेश्वर कुमार	ओम सिंह	हरिद्वार	10-02-80	SC	रा.प्रा.वि. चकचौड	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
7	सतेश्वरी	बचन लाल	रुद्रप्रयाग	12-03-75	SC	रा.प्रा.वि. समणगांव	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
8	पवन कुमार	रघुनाथ सिंह	रुद्रप्रयाग	19-10-83	GEN	रा.प्रा.वि. ग्वाड डागर	कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
9	मक्खन सिंह	प्रेम सिंह	टिहरी गढ़वाल	05-01-78	GEN	रा.प्रा.वि. चंगोरा	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति


  
(आर.पी.डंडरियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ.सं.:प्रा.शि.-2/ 1857-65 / स.अ.प्राथमिक / नियुक्ति / 2022-23 दिनांक उक्तवत ।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी नई टिहरी/देवप्रयाग/घनसाली, टिहरी गढ़वाल ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।
7. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि वे अपने विकासखण्ड से सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका के समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन तथा उनकी वैधता दो वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली संस्थाओं/कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवाने के उपरान्त सत्यापित प्रमाण-पत्रों का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख औपबन्धिक अंकित किया गया है उनके शैक्षिक/प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित त्रुटियों के निराकरण के उपरान्त वेतन आहरित किया जाय ।
8. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका सम्बन्धित विद्यालय ।
9. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय के साथ कि अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, टी.ई.टी.प्रथम उत्तीर्ण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के दो-दो सैट सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर उक्त अभिलेखों का एक सैट विद्यालय में जमा करने होंगे, दिनांक 01 जून 2022 से ग्रीष्मावकाश होने के फलस्वरूप उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। निर्धारित समायान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।
10. कार्यालय गार्ड फाईल ।

  
(आर.पी.डंडरियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।